IJRAR.ORG E-ISSN: 2348-1269, P-ISSN: 2349-5138
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND ANALYTICAL REVIEWS (IJRAR) | IJRAR.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सरकार और किसान आन्दोलनः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
(2020 के किसान आन्दोलन के विशेष संदर्भ में)

डा0 जसवेन्द्र सिंह

असि0 प्रो0 राजनीति विज्ञान विभाग

जी0वी0एन0 डिग्री कॉलिज बूढ़पुर, रमाला (बागपत)

लोकतन्त्र में सरकार का व्यापक अर्थ है जनता द्वारा चुनी हुई किसी भी प्रकार की व्यवस्था चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष प्रणाली हो और उसमें भी संसदात्मक अथवा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो। सभी का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण ही होता है। विश्व में अधिकतर देशों ने लोकतंत्र को ही अपनाया है और इससे बेहतर तंत्र सरकार का कोई हो भी नहीं सकता।

भारत ने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में संसदात्मक व्यवस्था को चुना है, जिसके पीछे 'विविधता में एकता' है अर्थात भारत में विशाल आबादी है, जिनकी अलग–अलग संस्कृति, भाषा, रहन–सहन कई प्रकार की भौगौलिक संरचना, अलग जलवायु आदि इतनी विविधता है कि यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन उपर्युक्त न होता, इसलिए हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संसदात्मक व्यवस्था को ही बेहतर समझा।

संसदात्मक व्यवस्था में सभी ईकाईयों का प्रतिनिधित्व सम्भव है। सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत का होना आवश्यक है, चाहे वह एक दल का हो अथवा गठबंधन का हो।

सरकार के गठन के बाद विधायिका नीतियों के बनाने का कार्य करती है व कार्यपालिका उसे लागू करती है तथा न्यायपालिका संविधान के रक्षक और व्याख्याता के रूप में कार्य किया जाता है। वह संसद द्वारा बनाये गये किसी भी कानून और विधि को अवैध घोषित कर सकता है, जो संविधान के विरूद्ध हो।

सरकार के कार्य– सरकार का कार्य जनता का कल्याण करना है, जिसको हम लोक कल्याणकारी राज्य भी कहते है, जिसके प्रमुख कार्य आन्तरिक सुरक्षा और विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करना। इस कार्य को करने लिए राज्य सेना तथा पुलिस की व्यवस्था करता है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए नागरिकों पर कर लगाता है। राज्य कानूनों का निर्माण करता है तथा पुलिस तथा न्यायालयों के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित करता है। इसके अतिरिक्त कृषि, उद्योग तथा व्यापार को नियमित तथा विकास जैसे कृषकों को राज्य ही सहायता, नहरों का निर्माण, बीज वितरण के लिए गोदाम खोलना तथा कृषि सुधार आदि शामिल है। समय–समय पर राज्य कृषि और उद्योगों के बीच एक सन्तुलन स्थापित करता है। आर्थिक सुरक्षा और लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, सहित बहुत ही व्यापक कार्य लोक कल्याणकारी सरकार के होते है।

किसान आन्दोलन– किसान आन्दोलन को हम दो भागों में मुख्यतः विभाजित कर सकते है। स्वतन्त्रता पूर्व और स्वतन्त्रता के पश्चात। स्वतन्त्रता पूर्व कुछ प्रमुख आन्दोलन जिनमें नील विद्रोह (1859–62), पवना आन्दोलन (1870–80) दक्कन विद्रोह (1875), चम्पारण सत्याग्रह (1917), मोपला विद्रोह (1921), बारदोली सत्याग्रह (1928) इनमें सें अधिकतर आन्दोलन में स्थानीय किसानों ने वहाँ के जमींदार तथा साहूकारों के विरूद्ध आन्दोलन किया, केवल चम्पारण सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह में क्रमशः महात्मा गाँधी और सरदार पटेल के नेतृत्व में जमींदारों के साथ ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध आन्दोलन चलाया।

स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में पहला किसान आंदोलन किसे कहा जाये, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत में अनेक समय पर अलग–अलग क्षेत्रों व प्रांतों में असंख्य किसान आंदोलन हुए, जिनमें से अधिकतर उपज के दाम की सही माँग तथा मौसम की मार के कारण खराब हुई फसलों की नुकसान से हुए हर्जाने को प्राप्त करने के लिए हुए। इसी कड़ी में 1998 में मध्य प्रदेश के मुलतई में फसल के नुकसान के कारण कृषकों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए किसानों द्वारा निर्वतमान कांग्रेस सरकार के विरूद्ध किसान आन्दोलन करना पड़ा। जिसमें लगभग 19 किसानों की जान चली गई और लगभग 150 घायल हुए। इस प्रकार की घटना देश के अन्य राज्यों में भी समय–समय पर होती रही है।

पंजाब से शुरू हुआ सितम्बर 2020 में कृषि आन्दोलन हरियाणा से होता हुआ लगभग देश के विभिन्न राज्यों तक फैल गया। यह आन्दोलन स्वतन्त्र भारत का एक बड़ा किसान आन्दोलन जरूर कहा जा सकता है। लगभग 1 वर्ष तक दिल्ली के चारों कोने जिसमें प्रमुख गाजीपुर बार्डर, सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर सहित दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन भारत सरकार के तीन कृषि विधेयक के विरोध में शुरू किया गया। इस विधेयक में फार्मर्स प्रोडयूस ट्रेड एंड कामर्स एक्ट 2020, फार्मर्स एग्रीमेन्ट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड

फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। जिसे कई किसान संगठन किसानों के हित में तो कई विरोध में मान रहे थे, जिसमें प्रमुख 40 किसान संगठन (संयुक्त किसान मोर्चा) जिसके प्रमुख घटक पंजाब के अधिकतर किसान संगठन व हरियाणा के संगठन व उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान संगठन 'भारतीय किसान यूनियन' सहित देश के प्रमुख किसान संगठन शामिल रहे है।

27 सितम्बर 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इन विधेयकों को मंजूरी मिली थी। इन विधेयकों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, जो बेनतीजा निकली। कई दौर ऐसे भी आये जब शान्तिपूर्वक चल रहे कृषि आन्दोलन में हिंसा हुई। 26 जनवरी 2021 को जब किसानों को सरकार के द्वारा इजाजत दी कि वो तय मार्ग से दिल्ली कूच कर सकते है, परन्तु किसानों के भेष में कुछ उपद्रवियों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया तथा साथ ही कुछ पुलिस कर्मियों के साथ हिंसक वारदात की। इस प्रकार लगभग यह आंदोलन समाप्ति की ओर चल पड़ा था और लगभग सभी किसान संगठन यह मान चुके थे कि किसान आन्दोलन लगभग समाप्त हो चुका। परन्तु 28 जनवरी 2021 को जब पुलिस गाजीपुर बार्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पहुँची तो राकेश टिकैत ने हमले की आशंका में गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। उनका दर्द उनके आँसूओं में झलक गया। गाजीपुर बार्डर को किसान आन्दोलन की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था किन्तु इस घटना के बाद बार्डर पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत के प्रति उ0प्र0, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित देश के अधिकतर भाग में गहरी सहानुभूति हो गई और आंदोलन में नई जान पड़ गयी तथा राकेश टिकैत सर्वाधिक लोकप्रिय किसान नेता के रूप में उभरे।

प्रश्न यह उठता है कि किसान और सरकार के मध्य इस प्रकार की संवादहीनता किस प्रकार उत्पन्न हुई। क्या कृषि बिल अच्छे थे या नहीं इस पर दो मत हो सकते है। सारा मामला इस पर निर्भर करता है कि कृषि लागत जिसमें कृषक की मजदूरी उसका श्रम–पूंजी जोड़कर निकालकर कुछ फायदा हो भी जाता है। लेकिन देश के अधिकतर हिस्से में मौसम बहुत बड़ा कारक है, जिससे किसान की लागत भी नहीं निकल पाती। फिर वह उत्पादन के निचले स्तर पर खड़ा है। विपणन की पूरी देश में सही व्यवस्था नहीं, कुछ ही फसलों पर एम0एस0पी0 सरकार के द्वारा तय की जाती है। दूसरा प्रश्न आवश्यक वस्तु का है, जिसमें अब तक केवल सरकार ही गेहूँ, चावल जैसे उत्पाद का भण्डार कर पाती है, निजी समूह नहीं।

निष्कर्ष–

सतत् विकास के क्रम में सरकार द्वारा कृषि सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसमें सरकार तथा किसान संगठनों का उचित समन्वय होना चाहिए। किसी भी बदलाव को चरणबद्ध तरीके से लागू होना चाहिए। इन आन्दोलन को वापस लेने का एक सबसे बड़ा कारण आपस में समन्वय की कमी तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में सरकार जिस बहुमत की है, उसे खोने का डर उसमें भी प्रमुख उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में हुए 2022 के चुनाव भी मुख्य बिन्दु रहे है। लोकतंत्र की भागीरथी का आधार सहिष्णुता है। इसके अभाव में लोकतंत्र मजबूत नहीं बन पायेगा।

सन्दर्भ सूची–

1– जैन पुखराज एवं फडिया बी0एल0– 'रानीति विज्ञान' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

2– गाँधी मोहनदास करमचन्द– 'ग्राम स्वराज्य' प्रभात प्रकाशन आसिफ अली रोड, नई दिल्ली–110002

3– ब्रास पाल आर0– 'चरणसिंह और कांग्रेस राजनीति' एक भारतीय राजनीति जीवन खण्ड–1, 1957 से 1961 तक (सेज प्रकाशन, नई दिल्ली)

4– चौधरी बी0एन0 व कुमार युवराज– "भारत में संवैधानिक लोकतंत्र और शासन" प्रथम संस्करण, 2013, प्रकाशन दिल्ली विश्वविद्यालय।

5– कश्यप सुभाष– "हमारा संविधानः भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट, 1996

6– कोठारी रजनी–पॉलिटिक्स इन इण्डिया, ओरियन्ट लोंगमैन, कोलकता

7– नारंग, ए0एस0– भारतीय शासन एवं राजनीति, नई दिल्ली, 2013

8– https://www.drishtiicis.com

9– https://ncert.nic.in

10– https://studyfry.com

11– विभिन्न समाचार पत्र जैसे दैनिक भास्कर, जनसत्ता, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान आदि के अलग–अलग दिनांक के समाचार पत्रों का सहयोग लिया।

12– इंटरनेट जैसे आधुनिक साधनों का भी सहयोग लिया।